



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 612 ]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 6, 2000/अग्रहायण 15, 1922

No. 612 ]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 6, 2000/AGRAHAYANA 15, 1922

वित्त मंत्रालय

( आर्थिक कार्य विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2000

सा.का.नि. 908(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है अर्थात् :—

- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम लोक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2000 है।
  - (2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 में, प्ररूप (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

प्ररूप क

[ पैरा 4 का उप-पैरा (1) देखिए ]

क्रम संख्या .....

लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 के अधीन कोई  
लोक भविष्य निधि खाता खोलने के लिए आवेदन।

सेवा में

शाखा प्रबंधक/पोस्ट मास्टर  
..... बैंक/डाक घर का नाम

यहाँ पासपोर्ट आकार का  
नया फोटो चिपकाएं

स्थायी लेखा संख्या .....

में..... लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 के अधीन अपने नाम में /कुमार/कुमारी..... के नाम  
में खाता खोलने के लिए जिनका मैं संरक्षक हूँ आवेदन करता हूँ तथा..... रूप (केवल..... रूप) नकद/चैक  
के द्वारा आरंभिक अभिदान के रूप में देता हूँ।

अभिदाता/संरक्षक का स्थायी पता.....

मैं समय-समय पर यथा संशोधित लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 के उपबंधों का पालन करने का करार करता हूँ।

स्वयं/अवयस्क(स्कों)/हिंदू अविभक्त कुटूम्ब/संगम के नाम में लेखा अवयस्क के जन्म की तारीख.....

आवेदक के साथ अवयस्क की नातेदारी यदि कोई हो.....

- (I) मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने कोई अन्य लोक भविष्य निधि खाता नहीं खोल रखा है।
- (II) मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने किसी अवयस्क की ओर से या किसी हिंदू अविभक्त कुटूम्ब या व्यक्तियों के किसी संगम की ओर से किसी खाते के सिवाय कोई अन्य लोक भविष्य निधि खाता नहीं खोल रखा है।
- (III) मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा पहले खोले गए अन्य लोक भविष्य निधि खातों के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं।

क्रम सं.	वर्णन	बैंक/डाक घर का नाम/पता और खाता सं.
1.	स्वयं का खाता	
2.	अवयस्क(स्कों) के नाम में जिनका मैं संरक्षक हूँ	
3.	हिंदू अविभक्त कुटूम्ब का खाता	
4.	व्यक्तियों के संगम के नाम में	

- (IV) मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाउपबंधित निक्षेप की सीमा का जो फिलहाल किसी व्यक्ति के स्वयं के खाते और खातों, वयस्क(कों) की ओर से खातों, जिनका मैं संरक्षक हूँ/किसी हिंदू अविभक्त कुटूम्ब खाते/किसी संगम के खाते सहित किसी वित्तीय वर्ष में साठ हजार रुपए है, पालन करूंगा। यदि किसी समय उक्त घोषणा गलत/मिथ्या पाई जाती है तो मुझे/अभिदाता को विहित समय से अधिक पाए गए निक्षेपों की राशि पर कोई ब्याज संदेय नहीं होगा।
- (V) मैं श्री/मैसर्स ..... , लोक भविष्य निधि अभिकरण संख्या .....की सेवाओं का उपयोग करता रहूंगा। जिसने मुझे लोक भविष्य निधि खाता खोलने के लिए सहमत किया है।

(या)

मैं प्रत्यक्ष रूप से न कि अभिकर्ता की मार्फत विनिधान करूंगा।

तारीख .....

अभिदाता/संरक्षक के हस्ताक्षर या  
अंगूठे का निशान

हस्ताक्षर के अतिरिक्त नमूने

\* \* \* ऐसे अभिदाता/आवेदक जिनका आयकर का निर्धारण नहीं होता है या जिनके पास स्थायी लेखा संख्या/जी आई आर संख्या नहीं है वे पहचान के लिए राशन कार्ड या मतदाता पहचान-पत्र अथवा पासपोर्ट की सत्यापित प्रति दे सकते हैं।

**टिप्पण 1 :**—जहां कोई खाता किसी हिंदू अविभक्त कुटूम्ब या किसी व्यक्ति संगम की ओर से खोला जाता है वहां यथा-स्थिति "हिंदू अविभक्त कुटूम्ब" या "संगम" शब्द अभिदाता के नाम के पश्चात् जोड़े जाएंगे।

**टिप्पण 2 :**—जो लागू न हो उसे काट दें।

#### लेखा कार्यालय के उपयोग के लिए

लोक भविष्य निधि लेखा संख्या ..... के अधीन ..... रुपए से तारीख ..... को खाता खोल दिया गया है।

पास पुस्तिका सं. .... जारी कर दी गई है।

तारीख .....

लेखा अधिकारी"  
[फा. सं. 7/6/99-एन एस II]  
एस. डी. पाल, अवर सचिव

**पाद टिप्पण :**—स्कीम सा. का. नि. 1136 तारीख 15-6-1968 द्वारा अधिसूचित की गई थी और सा. का. नि. 368 (अ) तारीख 1-8-72, सा. का. नि. 217(अ) तारीख 9-3-79, सा. का. नि. 270(अ) तारीख 16-3-83, सा. का. नि. 271(अ) तारीख 16-3-83, सा. का. नि. 54(अ) तारीख 7-2-84, सा. का. नि. 895(अ) तारीख 23-6-86, सा. का. नि. 1013(अ) तारीख 20-8-86, सा. का. नि. 793(अ) तारीख 29-8-89, सा. का. नि. 477(अ) तारीख 25-5-94, और सा. का. नि. 489(अ) तारीख 6-7-1999 द्वारा संशोधित की गई थी।

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Economic Affairs)**  
**NOTIFICATION**  
 New Delhi, the 6th December, 2000

G.S.R. 908(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Provident Fund Act, 1968 (23 of 1968), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the Public Provident Fund Scheme, 1968, namely:-

1. (1) This scheme may be called the Public Provident Fund (Amendment) Scheme, 2000.  
 (2) It shall come into force on the date of its publication in Official Gazette.
2. In the Public Provident Fund Scheme, 1968, for Form A, the following shall be substituted, namely:-

**FORM A**  
*[See sub-paragraph (1) of paragraph 4]*

Serial No.....

**Application for opening a Public Provident Fund Account  
 Under the Public Provident Fund Scheme, 1968.**

To

The Branch Manager/Post Master,  
 ..... (Name of the Bank/Post Office)

Paste here  
 a copy of  
 recent  
 passport  
 size  
 photograph

PAN No.....\*\*.

I .....  
 hereby apply for opening an account under the Public Provident Fund Scheme, 1968, in my name/in the name of Kumar/Kumari .....  
 of whom I am the guardian and tender herewith Rs..... (Rupees .....) in cash/cheque as the initial subscription.

Permanent address of subscriber/guardian.....

I agree to abide by the provisions of the Public Provident Fund Scheme, 1968, and amendments issued thereto from time to time.

**ACCOUNT IN THE NAME OF SELF/ MINOR (S)/HUF/ASSOCIATION**

Date of birth of minor .....

Applicant's relationship with minor, if any, .....

- (i) I hereby declare that I am not maintaining any other Public Provident Fund Account.
- (ii) I hereby declare that I am not maintaining any other Public Provident Fund Account, except an account on behalf of a minor or a Hindu Undivided Family or an association of persons.
- (iii) I hereby declare that the details of other Public Provident Fund accounts opened earlier by me are as under:-

S.No.	Description	Name/address of the Bank/Post Office and account No.
1.	Self account	
2.	In the name of minor(s) of whom I am the guardian	
3.	HUF Account	
4.	In the name of Association of persons	

- (iv) I also declare that I shall adhere to the ceiling on deposits as provided for by Central Government from time to time, which is Rs.60,000/- in a financial year at present together in an Individual self Account and Account(s) on behalf of minor(s) of whom I am the guardian / a Hindu Undivided Family Account / an Association Account. In case, at any time the said declaration is found untrue/false, no interest shall be payable to me/the subscriber on the amount of deposits found in excess of the prescribed limit.
- (v) I shall be utilising the services of Shri/Ms....., PPF Agency No. ...., who has canvassed for opening of this PPF Account.

OR

I shall be investing directly and not through any agent.

Date .....

Signature or thumb impression of  
Subscriber/guardian

Additional specimen signatures

\*\* The subscriber/applicant who are not assessed to income tax or do not have PAN/GIR No. may furnish attested copy of the Ration Card or Voter's Identity Card or Passport for identification.

Note 1 :- Where an account is opened on behalf of a Hindu Undivided Family or an association of persons, the letters "HUF" or "Association", as the case may be, shall be added after the name of the subscriber.

Note 2 :- Delete whichever is not applicable.

**FOR THE USE OF ACCOUNTS OFFICE**

The account has been opened on \_\_\_\_\_ with Rs. \_\_\_\_\_  
Under Public Provident Fund Account No. \_\_\_\_\_

Pass Book No. \_\_\_\_\_ has been issued.

Date \_\_\_\_\_

Accounts Officer "

[No. F 7/6/99-NS II]

S D. PAUL, Under Secy.

**Footnote :** The scheme was notified vide GSR 1136 dated 15.6.1968 and amended vide GSR 368(E) dated 1.8.72, GSR 217(E) dated 9.3.79, GSR 270(E) dated 16.3.83, GSR 271(E) dated 16.3.83, GSR 54(E) dated 7.2.84, GSR 895(E) dated 23.6.86, GSR 1013(E) dated 20.8.86, GSR 793(E) dated 29.8.89, GSR 477(E) dated 25.5.94 and GSR 489(E) dated 6.7.1999.

